समयबद्ध
सर्वोच्च प्राथमिकता/ई-मेल
संख्या-698/नौ-9-2020-58ज/20

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2020

विषय-प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में दैनिक रूप मे कार्य कर जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के विषय में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि COVID-19 के सम्भावित संक्रमण को रोके जाने एवं इसके प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव से बचाव हेतु सुरक्षित उपायो को सुनिश्चित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संदर्भ में नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्रान्तर्गत दैनिक कार्य कर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के विषय में सूचनाओं का संकलन किया जाना आवश्यक है, जिससे ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में सुविधाजनक ढंग से रोजगार एवं सहायता उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा सके। इस हेतु शासन के पूर्व पत्र सं0-1509/पी0एस0एच0 (एन0वी0)/2020, दिनांक-18.03.2020 के माध्यम से प्रारूप का निर्धारण कर ऐसे व्यक्तियों की संख्या का आंकलन कराया गया है। ऐसे पंजीकृत/अपंजीकृत व्यक्तियों के विषय में संलग्न प्रारूप पर सूचनाओं की आवश्यकता है।

2. पंजीकृत अथवा अपंजीकृत व्यक्ति निम्नलिखित श्रेणी/वर्गों के हो सकते हैः-

(1) पटरी दुकानदार/वेन्डर्स।
(2) रिक्शा/इक्का, तांगा चालक।
(3) टैम्पो/आटो/ई-रिक्शा चालक।
(4) दैनिक दिहाड़ी मजदूर/मण्डियों में पल्लेदारी करने वाले/ठेलिया चलाने वाले।
(5) अन्य दैनिक कार्य करने वाले व्यक्ति।

3. उक्त पंजीकृत अथवा अपंजीकृत व्यक्तियों में वह व्यक्ति आच्छादित किये जायेंगे जो श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं है तथा मनरेगा कार्ड धारक नहीं है।

4. उक्त प्रस्तर-02 में उल्लिखित श्रेणी/वर्गों के संबंध में संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध उक्तानुसार वांछित संकलित सूचनायें ऑनलाइन फीड कराने के लिये प्रत्येक नगर निगम में नामित नोडल अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी उत्तरदायी होंगे। जिलाधिकारी इन सूचनाओं को ऑनलाइन फीड कराने हेतु अपर जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तथा तहसील स्तर पर एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेंगे। नगर निगम तथा तहसील स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सूचनाओं के संकलन एवं ऑनलाइन फीडिंग में COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर निर्गत समस्त निर्दिष्ट सावधानियों तथा **SOPs** का

अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोडल अधिकारीगण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सूचनाओं के संकलन एवं ऑनलाइन फीडिंग में कोई लक्षित व्यक्ति छूटने न पाये। इस प्रकार अपलोड की गयी सूचनाओं के लिए नगर निगम स्तर से नगर आयुक्त एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. उपर्युक्त प्रस्तर–2 में अंकित श्रेणी के लिए नगरीय स्थानीय निकायों में पंजीकृत/सत्यापित पटरी दुकानदारों/वेन्डर्स की उपलब्ध सूची, रिक्शा चालक/इक्का, तांगा चालक की नगरीय स्थानीय निकायो में उपलब्ध पंजीकृत सूची का प्रयोग किया जा सकता है। टैम्पो/आटो/ई–रिक्शा चालकों की क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उपलब्ध पंजीकृत सूची का प्रयोग किया जा सकता है। दैनिक दिहाड़ी मजदूरों के लिए लेबर अडडों पर एकत्र होने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क कर सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दैनिक रूप से जीवन यापन करने वाले अन्य व्यक्तियों के पंजीकृत संगठनों से भी सम्पर्क कर वांछित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है किन्तु यह सुनिश्चित किया जाये कि सूचनाएं सत्यापित हों एवं उनमें त्रुटि की सम्भावना न हों।

6. उपर्युक्त वांछित सूचनाएं अपलोड करने के लिए निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल अतिशीघ्र विकसित कर ऑनलाइन पोर्टल का यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड अतिशीघ्र समस्त जनपदों के जिलाधिकारीगण को उपलब्ध कराया जायेगा जो नोडल अधिकारीगण को पासवर्ड उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में आगामी 15 दिनों में पूर्ण की जानी है, अतः सूचनाओं का संकलन प्रत्येक दिन के आधार पर करते हुये उपरोक्तानुसार पूर्ण एवं संकलित सूचनायें शासन को 15 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर वांछित संकलित एवं पूर्ण सूचनाएं प्रत्येक दशा में शासन को आगामी 15 दिनों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी/निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी/निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री जी।
4. कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

स्थानीय निकाय क्षेत्र में दैनिक जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के विषय में सूचना अपलोड करने हेतु प्रपत्र।

(नोटः उक्त प्रपत्र ऐसे व्यक्तियों के विषय में भरा जायेगा जो श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं हैं तथा मनरेगा कार्ड धारक नहीं हैं)

1 नाम :

2. पिता/पति का नाम

3 उम्रः

4. मो0 नं0ः

5 आधार संख्याः

6. राशन कार्ड संख्या

		क्र. सं0	व्यवसाय की प्रकृति	पंजीकृत	अपंजीकृत	उक्त दैनिक व्यवसाय निकाय क्षेत्र में कब से किया जा रहा है।	
						वर्ष	माह
7	जीवन यापन हेतु किये जाने वाले दैनिक व्यवसाय कि प्रकृति को चुने (√)	1	पटरी दुकानदान/वेन्डर				
		2.	रिक्शा/इक्का/तांगा चालक				
		3.	टैम्पों /आटो / ई–रिक्शा चालक				
		4	दैनिक दिहाडी मजदूर मे पल्लेदारी करने वाले/ ठेलिया चलाने वाले				
		5.	उक्त क्रमॉक 01 से 04 से इतर अन्य दैनिक व्यवसाय/कार्य यदि हो तो उसकी प्रकृति लिखे				
8.	बैंक खाता संख्याः						
9.	बैंक का नामः						
10	बैंक शाखाः						
11.	IFSC कोड						
12.	वर्तमान पता	1.	वार्ड का नाम				
		2.	मोहल्ला/कालोनी/बस्ती आदि का नाम				
		3.	भवन संख्या (यदि कोई हो)				
13.	यदि वर्तमान पता अस्थायी पता नही है तो स्थायी पता						
	13.A स्थायी पता यदि ग्रामीण क्षेत्र में है।	1.	ग्राम का नाम				
		2.	तहसील				
		3.	जनपद				
	13.B स्थायी पता यदि शहरी क्षेत्र में है।	1.	वार्ड का नाम				
		2.	मोहल्ला/कालोनी/बस्ती आदि का नाम				
		3.	भवन संख्या (यदि कोई हो)				